103

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R - 3862 - I/14

मुन्नी तनय श्री रमदीना चमार
निवासी ग्राम देवथा तह. नौगांव
जिला छतरपुर

.....निगरानीकर्ता

7 OCT 2014

विरूद्ध

म.प्र.शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/8/14 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवथा स्थित भूमि खसरा क्र 742, 755 रकवा 0.202, 0,882 हे. क्रमशः भूमि पर निगरानीकर्ता के पूर्वजो एंव निगरानीकर्ता का 2/10/1984 के पूर्व से कब्जा होने के कारण दखलरहित अधिनियम के अंतर्गत निगरानीकर्ता द्वारा भूमि के व्यवस्थापन हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार नौगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र 100/अ–19/89–90 पंजीबद्व कर दिनांक 3/11/90 को अपना विधि संमत् आदेश पारित कर निगरानीकर्ता के पक्ष मे व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया। निगरानीकर्ता वादग्रस्त भूमि पर विगत 40 वर्ष से काबिज है तथा उसके द्वारा अत्याधिक धन व्यय कर व परिश्रम से भूमि को काबिल कास्त बनाया है परंतु अपर कलेक्टर द्वारा करीब 26 वर्ष की लंबी अवधि पश्चात् बिना किसी क्षेत्राधिकार के स्वमेव निगरानी में पंजीबद्व कर दिनांक 19/8/14 को अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करतें हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेष पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3862–एक/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–9–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 102/स्व0निग0/12–13 में पारित आदेश दिनांक 27–8–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि ग्राम देवथा स्थिति भूमि खसरा कमांक 742, 755 रकवा 0.202, 0.882 हे0 कमशः भूमि पर आवेदक के पूर्वजों एवं आवेदक का 2–10–84 के पूर्व से कब्जा होने के कारण दखलरहित अधिनियम के अंतर्गत आवेदक द्वारा भूमि के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार नौगांव के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 100/अ–19/89–90 पंजीबद्ध कर दिनांक 3–11–90 को आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश पारित किया। तहसीलदार के उक्त आदेश को अपर कलेक्टर छतरपुर ने स्वमेव निगरानी में लेकर प्रकरण कमांक 102/स्व0नि0/12–13 में पारित आदेश दिनांक 27–8–14 के द्वारा विवादित भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि व्यवस्थापन के पश्चात आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर अत्यधिक धन व्यय कर व परिश्रम से भूमि को काबिल कास्त बनाया है, परन्तु अपर कलेक्टर ने 26 वर्ष पश्चात प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर भूमि शासकीय घोषित करने के आदेश देने में त्रुटि की है। स्वप्रेरणा की शक्ति का	

उपयोग एक निश्चित समय सीमा में किया जाना चाहिए । अपर कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई दस्तावजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रकरण में अंकित नहीं, बिना मनमाने तौर पर विधि विपरीत आदेश पारित किया है। तहसीलदार ने आवेदक का दिनांक 02–10–84 के पूर्व से कब्जा होने से उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर विधिवत प्रकिया अपनाने के उपरांत व्यवस्थापन आदेश पारित किया है। अपर कलेक्टर ने पूर्व नियोजित तरीके से बिना किसी आधार के व्यवस्थापन आदेश निरस्त कर भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश देने में अवैधानिक कार्यवाही की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका ने 02–10–84 के पूर्व से कब्जा होने के आधार पर म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी का अधिकारों का प्रदान किये जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 03–11–1990 को आदेश पारित कर आवेदिका को भूमिस्वामी घोषित किया। उक्त व्यवस्थापन आदेश के विरूद्ध लगभग 26 वर्ष पश्चात अपर कलेक्टर ने प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया। अपर कलेक्टर ने 26 वर्षों बाद प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया है। इतनी अधिक लम्बी अवधि के पश्चात प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करना व्यवहारिक एवं उचित नहीं कहा जा सकता है। ***इस संबंध 1999 आर एन 363 मोहन तथा एक अन्य विरूद्ध म0प्र0 राज्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– "भू–राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) – धारा 50–स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति – युक्तियुक्त समय के भीतर प्रयुक्त की जाना चाहिए– एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है।***

apex court has also held that what is a reasonable time depends upon the facts and circumstances of each case, Therefore , this court has to decide whether the powers exercised by the Collector are with in the reasonable time or not ?

स्पष्ट है कलेक्टर को एक युक्तियुक्त समय के भीतर ही प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर कार्यवाही करना चाहिए थी। अपर कलेक्टर ने तकनिकी आधारों एवं संभावनाओं के आधार पर बिना प्रश्नाधीन आदेश पारित कर व्यवस्थापन को निरस्त करने में त्रुटि की है अतः अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनावेदिका का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य